

7/7/23

पगावली पेय दुग्धी। प्रार्थी व वकील प्रार्थी
अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगावणे गप्पी।
आवाज लगावणे के उपरांत भी प्रार्थी की
ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदालत हाजरी अदालत
पेवरी में खावीज किया जाता है। पगावली
केवल शुद्ध होकर नाममात्र के कर्त होकर
दफ्तर दाखिल है।



राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)